

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी-3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेंसी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक: एफ 7 (2)(52) रा.छा/सान्याअवि/15/

जयपुर, दिनांक:

53558
आदेश

8/9/15

वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजट अभिभाषण के समय मांग संख्या-33 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के संबंध में वाद-विवाद के समय विधानसभा प्रदत्त आश्वासन संख्या 7/2015 में माननीय मंत्री महोदय ने विधानसभा में आश्वासन दिया है कि "राजकीय छात्रावासों में उपलब्ध टी.वी.(टेलीविजन) को छात्रावास अधीक्षक के कमरों में रखने के स्थान पर छात्रावास के कॉमन रूम में रखवाया जाएगा और टी.वी. पर कौन-कौन से चैनल उसमें चलाने चाहिए इसका निर्धारण किया जाएगा तथा हर छात्रावास में दो-दो राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र जिसमें से एक अंग्रेजी और एक हिन्दी का समाचार पत्र भी कॉमन रूम में विधार्थियों को पढ़ने हेतु उपलब्ध करवाए जाएंगे।"

उक्त विधानसभा आश्वासन के अनुसरण में जिला अधिकारियों एवं छात्रावास अधीक्षकों को निम्नानुसार निदेशित किया जाता है :-

1. विभागीय छात्रावासों में उपलब्ध टीवी को छात्रावास अधीक्षक के कार्यालय में नहीं रख कर कॉमन रूम अथवा छात्रावास के भोजन कक्ष में रखा जावे। टी.वी. को प्रोपर स्टेण्ड पर लगाया जावे तथा छात्र-छात्राओं में बौद्धिक, नैतिक एवं सामाजिक विकास हो सके, ऐसे चैनल चलाये जावे।
2. प्रत्येक छात्रावास में प्रतिदिन राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र मंगवाये जावे जिसमें एक हिन्दी एवं एक अंग्रेजी भाषा का होगा। उपलब्ध समाचार पत्र भी विधार्थियों के अध्ययन हेतु कॉमन रूम में ही रखे जावे।

उक्त आदेशों की पालना तुरन्त प्रभाव से सुनिश्चित की जावे।

(अम्बरीष कुमार)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

जयपुर, दिनांक:

क्रमांक: एफ 7 (2)(52) बजट/सान्याअवि/15/

प्रतिलिपि:-

53559-635

8/9/15

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर
5. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन), मुख्यावास।
8. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक (एस.सी.एस.टी), मुख्यावास।
9. निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
10. संयुक्त निदेशक (योजना/देवनारायण), मुख्यावास।
11. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यावास को भेज कर लेख है कि वे उक्त आदेश को तत्काल समस्त जिलाधिकारीयों को ई-मेल करारते हुए उक्त आदेश को छात्रावास संचालन नियम में सम्मिलित करावे।
12. उपनिदेशक/सहायक निदेशक जिलापरीवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
13. आदेश पत्रावली।

8.9.15
(डॉ. हरसहाय भीणा)

अतिरिक्त निदेशक (अनु.जाति, जनजाति कल्याण)